International Journal of Sanskrit Research 2023; 9(6): 184-188

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2023; 9(6): 184-188
© 2023 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 01-09-2023
Accepted: 05-10-2023

Dr. Virender Kumar
Assistant Professor
Department of Sanskrit & Pali
Punjabi University Patiala,
Punjab, India

Mamleshwar Prasad
Research Scholar
Department of Sanskrit & Pali
Punjabi University Patiala,
Punjab, India

Corresponding Author:
Dr. Virender Kumar
Assistant Professor
Department of Sanskrit & Pali
Punjabi University Patiala,
Punjab, India

गौतमस्मृति में राजधर्म एवं दण्ड व्यवस्था

Dr. Virender Kumar and Mamleshwar Prasad

प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र साहित्य में राजधर्म नामक विषय पर व्यापक चर्चा मिलती है। राजधर्म का अर्थ राजधर्म नामक शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है। यथा राजा का धर्म। महर्षि व्यास का वक्तव्य है कि धर्म से युक्त राजा धार्मिक कहलाता है। यदि राजा धार्मिक होगा तो वहां की प्रजा भी धार्मिक होगी, क्योंकि जैसे राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है।[1] राज्य में शान्ति स्थापित करने के लिए राजा का होना अनिवार्य है। देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने पर कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। प्राचीन स्मृतिकारों में मुख्य महर्षि गौतम ने इस विषय पर व्यापक चर्चा की है। जिसका विवेचन निम्नवत है-

राजा का व्यक्तित्व

राजपद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए गौतम ने कुछ योग्यताएं निर्धारित की है। राजा शुभ कर्म करने वाला, सदा सत्य बोलने वाला, शास्त्रानुकूल आचरण करने वाला, वेदत्रयी एवं न्याय विद्या में निपुण होना चाहिए। राजा जितेन्द्रिय, गुणवान, सहायकों से युक्त तथा साम, दाम आदि उपायों से सम्पन्न होना चाहिए तथा न्याय करते समय सम्पूर्ण प्रजा के प्रति समान भाव, यत्न पूर्वक प्रजा का हित करते वाला होना चाहिए।[2] स्मृतिकार मनु का मत है कि राजा दण्ड प्रयोक्ता सत्यवादी, विवेक से कार्य करने वाला, बुद्धिमान एवं धर्म तथा अर्थ का ज्ञाता होना चाहिए। साथ ही राजा को सब प्रकार से पवित्र, सत्य प्रतिज्ञ, शास्त्रानुकूल व्यवहार करने वाला, अच्छे सहायकों वाला एवं बुद्धिमान होना चाहिए।[3] इस विषय पर याज्ञवल्क्य का भी यही अभिमत दृष्टिगत होता है।[4]

राजा की दिनचर्या

स्मृतिग्रन्थों में राजा की दैनिक क्रियाओं की और भी अत्याधिक बल दिया गया है। गौतम स्मृतिकार ने राजा के कार्यों व क्रिया क्लापों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे दैनिक कृत्यो एवं सावधानियों का प्रतिपादन किया है। जिसमें राजा की दिनचर्या को आवश्यक अंग माना गया है। गौतम ने निर्देष दिया है कि वह प्रतिदिन वेदत्रयी के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें तथा जिस बात को ज्योतिषी कहें राजा उसका पालन करें।[5] आचार्य याज्ञवल्क्य ने भी राजा की दिनचर्या से सम्बन्धित गौतम के मत का समर्थन किया है।[6]

राजा का साधारण धर्म

महर्षि गौतम के अनुसार राजा सभी वर्णों और आश्रमों का न्याय से रक्षा करें और अपने धर्म से पतित हुए लोगों को इनके धर्म में स्थापित करें।[7] महर्षि पाराशर भी उक्त मत से सहमत है।[8] प्रजातन्त्र शासन में भी राजधर्म का महत्व अक्षुण्ण रहता है अतः शासन का आधार राजधर्म को माना गया है।[9]

पुरोहित

यद्यपि गौतम ने राजा के लिए पुरोहित के वरण की बात की है। गौतम स्मृति के अनुसार विद्या, उच्चकुल, वाणी, रूप, यौवन और शील से सम्पन्न किसी तपस्वी ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त करें तथा राजा उससे मार्गदर्शन पाकर कर्मों को करें क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा मार्ग पर चलने वाला क्षत्रिय राजा समृद्धि को प्राप्त होता है न कि व्यथा को।[10] मनु ने उपर्युक्त सम्बन्ध में कहा है कि ब्राह्मण राजा के हित संवर्धन में सदैव कार्यरत् रहना चाहिए। इसीलिए उन्होनें राजा को परामर्श दिया है कि वह अपने कल्याण के लिए 'आर्थवण विधि' से पुरोहित एवं यज्ञ कर्म करने के लिए ऋत्विज्को वरण करें।[11]

अतः जहाँ तक राजा द्वारा करणीय धर्मों का विषय है वह भी गौतम स्मृति में बताया गया है कि धर्म तथा काम का सम्यक् प्रयोग ऋत्विक, पुरोहित आदि वेदविदों की संगति तथा उनसे शिक्षा ग्रहण, इन्द्रिय संयम, व्यसन में न पडना, अपराधियों को दण्डित कर राज्य को समृद्ध तथा शान्त रखना, शासन व्यवस्था को बनाये रखना गौतम स्मृति में प्रशंसनीय रहा है।

गौतम स्मृति में दण्ड विधान

यम नियमों के विधान के बिना सभ्य एवं संस्कृत समाज की कल्पना भी कठिन होती है। उनका पालन करना सभ्य समाज का चिन्ह है। प्रत्येक राज्य एवं सामाजिक कार्यों के सम्यक् संचालन के लिए कुछ नियमों तथा अनुशासनों का विधान होता है। जब मानव द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो वह अपराध बन जाता है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ही दण्ड की उत्पत्ति होती है। महर्षि गौतम के अनुसार दमन करने की प्रक्रिया ही दण्ड कहलाता है।[12]

अतः अपराध एवं दण्ड की यह परम्परा कोई नवीन नहीं है यह एक स्वाभाविक परम्परा है। मनुस्मृति में स्पष्ट वर्णन है कि दण्ड के भय से ही सम्पूर्ण विश्व अपने-अपने कार्यों को करता है। देवता, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी, साँप सभी दण्ड के भय से अपने कार्यों को करते हैं। यदि दण्ड न हो तो सब वर्ण दूषित हो जाएं एवं सभी मर्यादाएं छिन्न-भिन्न हो जाएं और सम्पूर्ण विश्व क्षोभ से युक्त हो जाए।[13] गौतम स्मृतिकार ने विभिन्न अपराधों का वर्णन किया है, तदर्थ दण्ड भी निश्चित किये है जो निम्नलिखित है।

1. वाक्पारूष्य

अपशब्दों का प्रयोग ही 'वाक्पारूष्य' कहलाता है। महर्षि गौतम के अनुसार यदि क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ चिल्ला कर बोले या डण्डे से कठोरता दिखाए तो उसे दोगुना अर्थात् दो सौ मुद्राएं दण्ड दें, वैश्य यदि ऐसा करे तो उसे डेढ़ गुना अर्थात् डेढ़ सौ मुद्राएं दण्ड दें, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ ऐसा व्यवहार करें तो उसे पचास मुद्राएं, वैश्य के साथ ऐसा करने पर उससे आधी अर्थात् पच्चीस मुदाएं दण्ड दें। शूद्र के साथ ऐसा व्यवहार करने पर ब्राह्मण को कुछ भी दण्ड न दें।[14] स्मृतिकार मनु भी उक्त उल्लिखित बातों का समर्थन करते हैं।[15]

अतः विभिन्न वर्णों के लिए मुद्राएं की संख्या में भिन्नता यद्यपि वर्ण व्यवस्था को दर्शाता है, इस विषय का अवलोकन करने से हम यह पाते है कि शास्त्रों के ज्ञाता तथा यजन, अध्ययन में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण से समाज निन्दित एवं कठोर अपशब्दों की अपेक्षा नहीं रखता था। शूद्र वर्ण से वाक्पारूष्य की अधिकतर संभावना होती है। अपशब्दों का प्रयोग करने वाले इस वर्ण के लिए कठोर दण्डों का विधान है।

2. दण्डपारूष्य

किसी का स्पर्श करना और मारने के लिए डण्डा अथवा हाथ उठाना दण्डपारुष्य कहलाता है।

''दण्डपारुष्यं स्पर्शनमवगूर्णं प्रहतामिति'। [16]

महर्षि गौतम के अनुसार शूद्र यदि ब्राह्मणों पर वाणी और दण्ड की कठोरता से बलपूर्वक चोट करे तो राजा उसको भी उसी अंग से हीन कर दें जिससे उसने चोट की है। आर्य स्त्री से संभोग करने पर उसका लिंग काट दिया जाए और उसका धन छीन लिया जाये। यदि शूद्र राजा का रक्षक भी है तो उसके लिए उससे बड़े दण्ड का विधान है।

वेद को सुनने वाले शूद्र के लिए उसके कानों को रांग और लाख से भरना, उच्चारण करने पर जिह्वा छेदन और धारण करने पर शरीर भेदन शूद्र के लिए प्रमुख दण्ड है। आसन, शयन, वाणी और मार्ग में समानता चाहने वाला शूद्र सौ मुद्राओं के दण्ड का भागी होता है।[17] मनु स्मृतिकार ने ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के साथ दुष्ट शब्दों का प्रयोग करने वाले शूद्र के जिह्वा छेदन का दण्ड देने के साथ-साथ उसके मुख में दस अंगुल जलती हुई लोहे की कील डालने का दण्ड भी विहित किया है। यदि शूद्र

अभिमान पूर्वक धर्मोपदेश कर रहा है तो राजा उसके मुख एवं श्रोत्र में गर्म तेल डलवा दें।[18]

शूद्र यदि द्विजाति पर प्रहार करता है तो राजा प्रहार करने में प्रयुक्त शूद्र के अंग को कटवा दें। शूद्र के द्वारा द्विज के साथ समान आसन पर बैठने, दर्प के कारण, थूकने, मूत्र फेंकने, अथवा पाद मारने पर क्रमशः उसके होठों, लिंग तथा गुदा को काट दिया जाये।

शूद्र के लिए विहित दण्डों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ये पद्य मनु, गौतम आदि द्वारा रचित नहीं है परन्तु किसी ने शूद्रों के प्रति अपने मन में संगृहीत द्वैष को गौतम के नाम पर थोप दिया जो कि तर्कसंगत नहीं लगता क्योंकि किसी भी स्मृतिकारों ने अपनी स्मृतियों में शूद्र के प्रति इस तरह के वचनों का खण्डन नहीं किया है। मनु, गौतम आदि के लिए चारों वर्ण बराबर है तथा उनके लिए दण्ड का प्रावधान उनकी शिक्षा आदि के अनुसार किया गया है मनु शूद्र को नीच से उत्पन्न कभी नहीं कहते।[19]

शूद्र को वह सेवक की संज्ञा स्वीकार करते है।[20] महर्षि गौतम का कथन है कि शूद्र को बिना अपराध दण्ड देना या उसका वध करना महापाप हेाता है।[21] गौतम स्मृति में वर्णित अपराध के विभिन्न प्रकार तथा तन्निमित दण्ड निम्नवत है।

अपराध	दण्ड
फल, कृषि और सब्जी को स्वामी को पूँछे बिना काटने या तोड़ने पर	पाँच कृष्णल (रति) दण्ड का विधान है।[22]
किसी पशु के फसल आदि नष्ट करने पर	पशु स्वामी का दोष।
पशु द्वारा फसल आदि की हानि होने पर	चरवाहे का दोष।
मार्ग से सटे हुए खेत के घिरा न होने पर	खेत के स्वामी और पशु के स्वामी दोनों का दोष।
गाय के द्वारा खेत की क्षति पहुंचाने पर	पांच मासे दण्ड का विधान है।
उष्ट्र और गधे द्वारा क्षति पहुंचाने पर	छः छः मासे दण्ड का विधान है।
अश्व तथा भैंस द्वारा क्षति होने पर	दस-दस मासे दण्ड का विधान है।
बकरी और भेड़ द्वारा क्षति होने पर	दो-दो माष दण्ड का विधान है।
फल के पूर्णतः नष्ट होने पर उसकी पूरी	उपज राजा स्वामी को अपराधी से दिलायें।
विहित कर्म के न करने से निषिद्ध कर्म करने पर	राजा उस व्यक्ति से नित्य ही भोजन,वस्त्र के अतिरिक्त धन का हरण कर लें।[23]

मनु स्मृति में भी उक्त अपराधों के दण्ड गौतम स्मृति के समान ही दिखाई पड़ते है।[24]

अतः सभी दण्डों में चारों वर्णों का वर्णन तथा गौतम उक्त आदि पदों के प्रयोग कुछ गद्यों में प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। महर्षि गौतम उक्त वर्णित अपराध एवं दण्डों को दर्शाते हुए जो पक्षपात रहित मनस से युक्त एवं मानव हितैशी थे। गौतम की दृष्टि में अपराधी तो अपराधी है चाहे वह ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, स्त्री व पुरुष में कोई भी है वह अपराध करने पर समान रूप से दण्डनीय है।

3. साक्षी

साक्षी होने या न होने के सामान्य नियमों के अलावा स्मृतियों ने विशेष परिस्थितियों में कुछ नियमों का उल्लेख किया है। महर्षि गौतम के अनुसार विवाद में झूठ और सत्य का निर्णय साक्षी के आधीन है साक्षी अनेक होने चाहिए। वे निन्दा से रहित, अपने कर्मों में रत, विश्वास के पात्र राजा की प्रीति और कोप से हीन हो। वे वैकल्पिक रूप से शूद्र भी हो सकते है।[25] याज्ञवल्क्य ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उसमें साक्षी की योग्यता में वर्णभेद नहीं पाया जाता किन्तु लिंग भेद अवश्य है। याज्ञवल्क्य के अनुसार तपस्वी, कुलीन, सत्यवादी, धर्म में प्रमुख रूप से रत, सरल, पुत्रवान, धनवान, श्रोत और स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाला साक्षी हो सकता है।[26]

मनु इस सम्बन्ध में वर्ण भेद करते हुए ब्राह्मण को साक्षी नहीं मानते। किन्तु दूसरे श्लोक में यह व्यवस्था दी कि जो सब वर्णों में यथार्थवक्ता, सब धर्मों के ज्ञाता और लोभ से रहित हो वे लेन-देन के व्यवहार में साक्षी है जो इसके विरूद्ध गुण वाले हो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अतः अन्त में ब्राह्मण वर्ण को साक्षी में सम्मिलित कर लेते है।[27] वहीं नारद स्मृति भी याज्ञवल्क्य स्मृति का अनुसरण करती है।[28] महर्षि गौतम के अनुसार यदि ब्राह्मण बिना समन के नहीं आता है तो उसे आब्राह्मण के कहने से अपनी बात करने से नहीं रोकना चाहिए। अलग अलग बुलाए हुए राजा के द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर दें। अगर वे उत्तर नहीं देते तो वह दोषी है। सच बोलने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है इसके विपरीत नरक मिलता है। समन भेजकर बुलाए हुए साक्षी के रोग पीड़ित हो जाने पर अथवा प्रमादी बातें करने पर बिना समन भेजे आए साक्षियों को अपने साक्ष्य का कथन करना चाहिये। धर्म तन्त्र की हानि होने पर दोष साक्षियों, सभासदों और राजकर्मचारियों पर आता है।[29]

इस विषय पर मनु एवं याज्ञवल्क्य ने भी अपना मत प्रस्तुत किया है।[30]

साक्षी के लिए दण्ड विधान

महर्षि गौतम ने साक्षी के लिए भी कुछ दण्ड निर्धारित किये है जो निम्नलिखित है क्षुद्र पशु के विवाद में झूठ बोलने पर साक्षी 'दस' गुना का हनन करता है, अथवा अपना सर्वनाश। गाय, घोड़े पुरूष और भूमि के विवादों में झूठ बोलने पर वह क्रमश: दस दस गुना हनन करता है अथवा अपना सर्वनाश कर लेता है। भूमि के स्वामित्व के लिए झूठ बोलने पर नरक की प्राप्ति होती है। जल के विषय में भूमि के समान ही पाप लगता है। मैथुन के विषय में पशु के समान, मधु और घी के विषय में गाय के समान, वस्त्र, सुवर्ण, अनाज और वेद के विषय में तथा यानों के विषय में, घोड़े के विषय में झूठ बोलने के समान पाप लगता है। झूठ बोलने पर साक्षी को मुअतल किया जा सकता है तथा वह कठोर दण्ड का भागी होता है।[31] उक्त मत का सर्मथन याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिकारों ने भी किया है।[32]

सन्दर्भिका

1. यदाचरते राजा तत्प्रजानां स्म रोचते। म.भा. (शा. पर्व) 15.4 चित्रशाला प्रेस पुणे, 1932
2. साधुकारी स्यात् साधुवादी त्रय्यामान्वीक्षिक्यान्चाभिविनीतः शुचिर्जितेन्द्रियोगुणवत्सहायोपायसम्मन्नः समः प्रजासु स्याद्धितचासां कुर्वीत। गौ.स्मृ. 11.1 कृष्णादास प्रकाशन मुम्बई, 2002
3. तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्। प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधुपश्यति।।
   मनु.स्मृ. 7.26 चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी, 1970
4. याज्ञ.स्मृ. 1.308, 309 चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, 2002
5. राजासर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जं साधुकारी स्यात् साधुवादी त्रय्यामान्वीक्षिक्याम्।
   यानि च दैवोत्पातचिन्तकाः प्रब्रूयुस्तान्याद्रियेत। गौ.स्मृ. 11.1, 11.4
6. याज्ञ. स्मृ. 1.332, 333
7. वर्णानाश्रमांश्च न्यायतोऽभिरक्षेच्चलतष्चैनान् स्वधर्मे स्थापयेत्। गौ. स्मृ. 11.2
8. क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन क्षितिं धर्मेण पालयन।
   पारा. स्मृ. सुन्दर लाल त्रिपाठीए कृष्णादास प्रकाशन मुम्बई 2002
9. यदा-यदा यि धर्मस्य............युगे युगे श्रीमद्. गी. 7.4
10. ब्राह्मणण्च पुरोदधीत विद्याभिजनवाग्रू पवयः शीलसम्पन्नं न्यायवृतं तपस्विनंतत्प्रसूतः कर्माणि कुर्वीत ब्रह्मप्रसूत हि क्षत्रमृध्यते न व्यथत इति च विज्ञायते। गौ.स्मृ.11.3
11. पुरोहितं च कुर्वीत वृणुयादेव चर्त्विज।
    तेऽस्य गृह्यानि कर्माणि कुर्भर्वतानिकानि च।। मनु. स्मृ. 7.78
12. दण्डो दमनादित्या। गौ. स्मृ. 11.6
13. सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिनरः। दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्भोगाय कल्पते।।
    देवदानवगन्धर्वाः रक्षांसि पतगोरगाः। तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीड़िता।।
    दुष्येयुः सवर्णाश्च भिधेरन्सर्वसेतवः। सर्वलोक प्रकोपश्च भवेदण्डस्य विभ्रयात।। मनु.स्मृ. 7.22, 24
14. क्षत्रियो ब्राह्मणाक्रोशे दण्डापारुष्ये द्विगुणमध्यर्धं वैश्योब्राह्मणस्तु क्षत्रिये पन्चाशत्तदर्द्ध वैश्ये न शूद्रे किंचित। गौ.स्मृ. 12.2
15. मनु.स्मृ. 8.267, 269
16. अर्थ.शा. 3.19.1 रघुनाथ सिंह, कृष्णदास अकादमी वाराणसी, 1983
17. शूद्रो द्विजातीनभिसन्धायाभिहत्य च वाग्दण्डपारुष्याभ्यामङ्गमोच्यो येनोपहन्यादार्यस्त्र्यभिगमने लिङ्गोद्वारः स्वहरणञ्च गोप्ता चेद्वधोऽधिकोऽथ हास्य वेदपुमश्रृण्वतस्त्रापुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणमुदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद आसनशयनवाक्पथिषु समप्रेप्सुर्दण्डयः शतम्। गौ. स्मृ. 12.1
18. धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः। तप्तमासे येत्तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः।। मनु.स्मृ.8.270द83
19. जघन्यप्रभवो हि सः। मनु.स्मृ. 8.270
20. मनु. स्मृ. 1.91
21. त्रैय्यचैवं गाञच। गौ.स्मृ. 23.2
22. फलहरितधान्यशाकादाने पञ्चकृष्णलमल्पम। गौ. स्मृ. 12.3
23. फलहरितधान्यशाकादाने पञ्चकृष्णलमल्पे पशुपीडिते स्वामिदोषः पालसंयुक्ते तु तस्मिन् पथि क्षेत्रेऽनावृते पालक्षेत्रिकयोः पञ्च माषागवि षडुष्ट्रे खरेऽश्वमहिष्योर्दशाजाविषु द्वौ द्वौ सर्वविनाशे शतं शिष्टाकरणे प्रतिषिद्धिसेवायाञ्च नित्यं चैलपिण्डादूर्ध्वं स्वहरणञच। गौ.स्मृ.12.3
24. मनु.स्मृ.8.240, 241, 243, 257
25. विप्रतिपत्तौ साक्षिणी मिथ्यासत्यव्यवस्था बहवः स्युरनिन्दिताः स्वकर्मसु प्रात्ययिका राज्ञाञ्च निष्प्रीत्यनभितापाश्चान्यतरस्मिन्नपि शूद्रा। गौ.स्मृ. 13.1
26. याज्ञ. स्मृ. श्लो. 68, 69,
27. मनु. स्मृ. 8.62, 63

28. ना. स्मृ. 4.154द55 ब्रज किशोर स्वाई चौखम्बा संस्कृत भवन वाराणसी. 1996
29. ब्राह्मणस्त्वब्राह्मणवचनादनवरोध्योऽनिबद्धश्चेन्नासमवेता पृष्टाः प्रबूरयुरवचने च दोषिणः स्युः स्वर्गः सत्यवचने विपर्यये नरकः। अनिबद्धैरपि वक्तव्यं पीडाकृते निबद्धे प्रमत्तोक्ते च साक्षिसभ्य राजकर्तृषु दोषो धर्मतन्त्रपीडायां शपथेनैके सत्यकर्मणा तद्देवराजब्राह्मणसंसदि स्यादब्राह्मणानाम्। गौ. स्मृ. 13.1
30. याज्ञ. स्मृ. श्लो. 75, मनु. स्मृ. 8.90
31. क्षुद्रपश्वनृते साक्षी दश हन्ति गोऽश्वपुरुषभूमिषु दशगुणोत्तरान् सर्वं वा भूमौ हरणे नकरो भूमिवदप्सु मैथुनसंयोगे च पशुवन्मधुसर्पिषोर्गोवद्धस्त्रहिरण्यधान्यब्रह्मसु यानेष्वश्ववन्मिथ्यावचने याप्यो दण्ड्यश्च साक्षी नानृतव च ने दोषो जीवनञ्चेत्तदधीनं न तु पापीयसो जीवनं राजा प्राडिवाको ब्राह्मणो वा शास्त्रवित् प्राड्विवाको मध्यो भवेत् संवत्सरं प्रतीक्षेत प्रतिभायां धेन्वनडुत्स्त्रीप्रजनसंयुक्तेषु शीघ्रमात्ययिके च सर्वधर्मेभ्यो गरीयः प्राड्विवाके सत्यवचनं सत्यवचनम्। गौ.स्मृ. 13.2
32. याज्ञ. स्मृ. श्लो. 81